न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 37–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–11–2013 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर निगरानी प्रकरण कमांक 2143–दो/12

.....

1 रावेन्द्र सिंह तनय स्व0 बंशपती सिंह
निवासी ग्राम तिलखन तहसील सिरमौर जिला रीवा म0 प्र0
2 पुष्पेन्द्र सिंह तनय श्री राबेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम तिलखन तहसील सिरमौर जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

कमलबहादुर सिंह तनय स्व0 जगन्नाथ सिंह
निवासी ग्राम तिलखन तहसील सिरमौर जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री जगदीश सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 7.10.2015 को पारित)

यह पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 37–तीन/14 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेंगा) की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल के पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 2143–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 13–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है । अपने आदेश दिनांक 13–11–2013 द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा रावेन्द्र एवं पुष्पेन्द्र का निगरानी आवेदन अग्राह्य किया गया है । अग्राह्य करने का आधार यह लिया गया है कि

निगराकार उस सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित थे जिसके विरूद्ध उन्होंने निगरानी की थी, तथा वह अपने स्वंय के भूखण्डों का सीमाकंन कराने हेतु स्वतंत्र हैं ।

2/ प्रकरण में पुनर्विलोकन मेमो के अतिरिक्त प्रतिपक्ष का लिखित जबाब, अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण एवं राजस्व मण्डल के मूल प्रकरण की नस्तियां रिकार्ड में उपलब्ध हैं । मेरे द्वारा प्रकरण के सभी अभिलेखों का परिशीलन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए । हालांकि इनके बिन्दुओं को पुनः यहॉ नहीं लिखा जा रहा, किन्तु इनके प्रकाश में एवं इनको विचार में लेते हुये मेरे द्वारा निम्न बिन्दु इस प्रकरण में विचारणीय होने से टीप किए जाते हैं :–

(1) नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 12–6–10 के अनुसार सर्वे नंबर 687/2, 688/3, 689/2, 690/2 के सीमाकंन हेतु गैर निगराकार कमल सिंह का आवेदन था । जून–जुलाई 2012 में निगरानी प्रकरण कमांक 2143–दो/12 में प्रस्तुत निगरानी मेमों में निगराकारों के सर्वे नंबर 687/1 क, 688/1, 689/1 एवं 687/1 ख होना एवं गैर निगराकार के 687/3/3, 688/3, 689/2 होना लिखा है । इसके प्रकाश में इस प्रकरण के समस्त अभिलेख देखने पर प्रकरण से संबंधित किसी भी नस्ती में खसरा, खतौनी एवं पटवारी नक्शा जैसे राजस्व अभिलेखों की (किसी भी प्रकार की प्रति) देखने को नहीं मिलती, जिससे स्पष्ट हो सके कि विभिन्न स्टेजिज़ पर विषय में उल्लिखित किए गए किस सर्वे नंबर/बटा नंबर का भूमिस्वामी कौन है ।

(2) राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 12–6–10 (प्रदर्श पी 7) के द्वितीय पृष्ठ पर लिखे अनुसार सीमाकंन की कार्यवाही के दौरान खसरा नंबर 688 के बटे नंबर 688/1 एवं 688/3 की तरमीम (इन बटा नम्बरों की पुरानी तरमीम दिनांक 23–7–09 से) बदल कर प्रस्तावित कर दी गई थी, ऐसा लिखा है ।

(3) नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत इस राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन (प्रदर्श पी7)के द्वितीय पृष्ठ पर सुधार हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा 'ए' में जहॉ बटा नंबर 688/2 दिखाया गया है... प्रदर्श पी 2 नजरी नक्शे में लगभग उसी जगह बटा नंबर 689/2 लिखा होना दिखाई देता है । इससे भी प्रकरण में अस्पष्टता उत्पन्न होती है ।

(4) पुनर्विलोकन एवं निगरानी आवेदनों में जो रावेन्द्र एवं पुष्पेन्द्र के हस्ताक्षर हैं, वे

हस्ताक्षर सीमाकंन के समय के सूचना पत्र एवं पंचनामें में दिखाई नहीं देते ।

3/ उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि

(1) प्रकरण में, सर्वप्रथम, अभिलेख के आधार पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सा खसरा/बटा नंबर किस भूमिस्वामी का रहा ।

(2) सीमाकंन की कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक द्वारा खसरा नंबर 688 के बटांकों की तरमीम (पूर्व की तरमीम से) परिवर्तित करना प्रस्तावित कर दिया गया, जिसका नायब तहसीलदार ने अनुमोदन किया ।

(3) बटा नंबर 688/2 एवं 689/2 को लेकर पूर्ण स्पष्टता का, नायब तहसीलदार के समक्ष के प्रकरण में, अभाव रहा ।

(4) रावेन्द्र एवं पुष्पेन्द्र उपरोक्त सीमाकंन एवं तरमीम परिवर्तन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे हों, ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता ।

4/ पुनर्विलोकन प्रकरण में उपरोक्त बातों पर विचार के उपरान्त मैं यह पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करते हुए यह प्रकरण तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे इस आदेश की पूर्ववर्ती कंडिकाओं में वर्णित किए गए समस्त बिन्दुओं का विधि के प्रावधानों के अनुसार, समस्त हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अपने पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए, विधिवत निराकरण कर बोलता हुआ आदेश पारित करें । ऐसा करते हुए, तहसीलदार सर्वप्रथम प्रत्येक भूमिस्वामी के स्वामित्व के खाते/बटे नंबर स्पष्ट करें, फिर उनकी तरमीम स्पष्ट करें, और इसके बाद आवेदन अनुसार मौके पर सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कराएं । यदि (जैसा कि पुनर्विलोकन आवेदन में लिखा है) कतिपय खसरा/बटा नम्बरों का संबंध भू–अर्जन एवं उसके मुआवजे की कार्यवाही से हो, तो इस संबंध में भी उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर, विधि अनुसार पारदर्शिता बरतते हुए कार्यवाही हो ।

अभिलेख वापस हो ।

आदेश का पालन हो ।

प्रकरण समाप्त किया जाता है, दा0 द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर